



Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय
Krishi Vigyan Kendra, Narayanpur (CG)
कृषि विज्ञान केन्द्र, नारायणपुर (छ.ग.)
Email : kvk_narayanpur@rediffmail.com, Website : www.kvknarayanpur.org



क्र./कृ.वि.के./संविदा भर्ती/2022-23/ 952

नारायणपुर दिनांक -...27...03...2023

नियुक्ति आदेश

चयन समिति की अनुशंसा एवं अनुमोदन उपरांत निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यक्रम सहायक (पौध रोग विज्ञान) के पद पर संविदा के माध्यम से निश्चित वेतन (रु. 25780.00 प्रतिमाह) पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन/पदोन्नति द्वारा पदस्थापना) जो भी पहले हो तक उनके नाम के सम्मुख दर्शित (कालम नं. 04) पदस्थापना स्थल पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है |

क्र .	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	श्रेणी	पदस्थापना स्थल
1	वंदना चड़ार पिता – श्री दीनदयाल चड़ार वार्ड नं. 08, पत्रपारा, धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़, (छ.ग.) पिन नं. 496116	सामान्य	कृषि विज्ञान केंद्र, नारायणपुर

संविदा नियुक्ति एवं शर्तें :-

1. अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर कर्तव्य पर मूल प्रमाण पत्रों (शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र) के साथ उपस्थित होना होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा |
2. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में संलग्न किये गए कोई भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज तथा दी गई जानकारी भविष्य में यदि असत्य पायी जाती हैं, तो नियुक्ति बिना कारण बताये निरस्त कर दी जावेगी |
3. उभयपक्षों द्वारा किसी भी समय 1 माह की सूचना देकर सेवा समाप्त की जा सकती हैं | सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन-भत्ता भुगतान जमा करना होगा |
4. अभ्यर्थी को कर्तव्य पर उपस्थिति के समय इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला सिविल सर्जन से शारीरिक क्षमता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा | शारीरिक क्षमता प्रमाण पत्र में शारीरिक रूप से अयोग्य पाए जाने पर संबंधित की सेवाए तत्काल समाप्त कर दी जावेगी |
5. आरक्षित पद पर नियुक्त अभ्यर्थी से जाति के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र भराया जावेगा | संबंधित अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक अभिप्राप्त करने की बात प्रमाणित होने पर नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जावेगी एवं संबंधित को प्रदत्त लाभ व सुविधाओं पर व्यय की गई राशि वसूल की जावेगी तथा अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रवृत्त कानूनों के तहत कार्यवाही की जावेगी |
6. संबंधित का पुलिस अधीक्षक कार्यालय से चरित्र सत्यापन कराया जावेगा | चरित्र सत्यापन में पुलिस प्रशासन द्वारा संबंधित के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टीप पाए जाने पर नियुक्ति आदेश तत्काल निरस्त कर दिया जावेगा |
7. अभ्यर्थी को भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेनी होगी |
8. अभ्यर्थी को कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा |

9. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 01 वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन/पदोन्नति द्वारा पदस्थापना) जो भी कम हो के लिए की जावेगी | पद नियमित रूप से न भरने की स्थिति में विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से संविदा नियुक्ति 01 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती हैं, जिसके लिए पृथक से नियुक्ति प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी | किसी भी स्थिति में संविदा नियुक्त 02 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जावेगी |
10. संविदा पर नियुक्त अभ्यर्थी नियमितकरण के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा ना ही उस पद के विरुद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छुट दी जावेगी |
11. संविदा पर निश्चित वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होंगे | किन्तु संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को उस पद हेतु निर्धारित टी.ए./डी.ए. प्राप्त होगा | यदि राज्य शासन / राज्य शासन के मंडल/ निगम / आयोग / विश्वविद्यालय / प्राधिकरण आदि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तो उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जावेगा | संविदा पर कार्यरत कर्मचारी का वेतन परियोजना / कृषि विज्ञान केंद्र में रिक्त नियमित पद/ तदर्थ पद के विरुद्ध आहरित होगा |

Sigendra

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, नारायणपुर
Senior Scientist & Head
KVK-Narayanpur
नारायणपुर दिनांक -.....

क्र./कृ.वि.के./2022-23/

प्रतिलिपि :- सादर सूचनार्थ |

1. कुलसचिव इ.गाँ. कृ.वि.वि., रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ |
2. माननीय कुलपति महोदय जी के निज सहायक, इ.गाँ. कृ.वि.वि., रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ |
3. लेखा नियंत्रक इ.गाँ. कृ.वि.वि., रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ |
4. निदेशक, अटारी, जोन-IX, जबलपुर को सादर सूचनार्थ |
5. निदेशक विस्तार सेवाए, इ.गाँ. कृ.वि.वि., रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ |
6. कृषि विज्ञान केंद्र, नारायणपुर सुचाना पटल में अवलोकनार्थ |
7. सर्वर प्रभारी, इ.गाँ. कृ.वि.वि., रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ |
8. स्थापना/लेखा शाखा, कृ.वि.के. नारायणपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ |
9. संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ |

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, नारायणपुर